2020/00235

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट

श्री मोहनलाल पुत्र श्री त्रिवेणीकान्त
जाति राजपुरोहित
निवासी पाड़ीव तहसील सिरोही
जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

केस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005**

मुकदमा नं. 37 वर्ष 2020

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
0.08.2020	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा दिनांक 29.11.2019 को अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा कलक्टर कार्यालय सिरोही की जांच क्रमांक सतर्कता/95/503 दिनांक 15.01.1991 की विभागीय जांच की सम्पूर्ण पत्रावली की नकल दी जावे। मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा नहीं कराये है । अपीलांट द्वारा दिनांक 29.11.2019 को अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा कलक्टर कार्यालय सिरोही की जांच क्रमांक सतर्कता/95/503 दिनांक 15.01.1991 की विभागीय जांच की सम्पूर्ण पत्रावली की नकल दी जावे। अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत कोई आवेदन प्रस्तुत किया जाना नहीं पाया जाता है। बिना आवेदन के कोई सूचना देना सम्भव नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । (भगवती प्रसाद) **जिला कलक्टर, सिरोही**	280-81 13/8/

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.01.12 16:48:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner